मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-8

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 2008 (फाल्गुन 15, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सदन की ओर से उनको बधाई दी एवं हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर श्री सज्जन सिंह वर्मा तथा श्री रामलखन शर्मा सहित सदस्यों द्वारा भी शुभकामनाएं व्यक्त की गई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 1157) पर चर्चा के दौरान श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य श्री रामलखन शर्मा ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया)

(प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 637) पर चर्चा के दौरान सर्वश्री रामनिवास रावत, इन्द्रजीत कुमार, राजनारायण सिंह पूरनी, तुलसीराम सिलावट तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आए तथा आसंदी के निर्देशानुसार कुछ समय पश्चात् अपने आसन पर वापस गए। श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने विरोध स्वरूप प्रश्नकाल का बहिष्कार किया तथा श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, सदस्य के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 81 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 86 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(श्री नारायण त्रिपाठी तथा श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्यगण द्वारा शासकीय कैलैण्डर वर्ष 2008 का प्रदर्शन कर उसमें प्रकाशित त्रुटि का उल्लेख किया। इसी दौरान, श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य द्वारा कैलैण्डर फाड़ने पर, आसंदी द्वारा दोनों सदस्यों के कृत्य की निंदा कर उनके आचरण पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई)

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य ने इन्दौर जिले की सांवेर नगर पंचायत के वार्डों में पेयजल संकट होने;

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने बैतूल विकास खण्ड के ग्राम खहुली, भैंसदेही निवासी एक युवक की प्रोत्साहन राशि के लालच में नसबंदी करवाई जाने;

(3) श्री किशोर समरीते, सदस्य ने लांजी विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्य बंद होने से पलायन तथा भुखमरी की स्थिति निर्मित होने;

(4) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य ने प्रदेश के अनेक ग्रामों में प्रतिबंधित तेवड़ा दाल को खाद्य दाल में मिलाकर बेचे जाने;

(5) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य ने खरगौन जिले के सनावद-खरगौन मार्ग के ग्राम बौड़िया से कसराह नगर व्हाया दीपलगोन सड़क का घटिया निर्माण होने;

(6) श्री ताराचंद गोयल (मैकेनिक), सदस्य ने तराना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सभी ग्रामों में पाला पड़ने से रबी की फसल का नष्ट होने तथा मुआवजा न मिलने;

(7) श्री दरबूसिंह उईके, सदस्य ने बालाघाट जिले में पेयजल की गंभीर समस्या होने तथा

(8) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने लोक निर्माण संभाग श्योपुर के उपखण्ड श्योपुर में फर्जी वाउचर बनाकर लाखों रूपयों का भुगतान किये जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि -

"विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं किन्तु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए, सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके, मैंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। लेकिन, इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।"

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने ग्वालियर एवं चंबल संभाग में दूध से बने खाद्य पदार्थों में मिलावट किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री राजनारायण सिंह पूरनी तथा श्री आरिफ अकील, सदस्यगण ने भोपाल-नर्मदानगर मार्ग पर विधायक के साथ लूट की घटना होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री हिम्मत कोठारी, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

(3) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य ने भिण्ड जिले में पेयजल हेतु बांधों में पानी न रोके जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने भोपाल में पुलिस द्वारा एक पी.सी.ओ. संचालक की अकारण पिटाई किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हिम्मत कोठारी, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 105-जबलपुर पूर्व (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री अंचल सोनकर ने विधान सभा के वर्तमान फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है।

अनुज्ञा प्रदान की गई।

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्रीमती सुधा जैन, सभापति ने प्राक्कलन समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(1) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च,2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 1	सामान्य प्रशासन के लिए एक सौ सत्ताईस करोड़, इकतालीस लाख, छियानवे हजार रूपये
अनुदान संख्या - 2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए अठारह करोड़, तेरह लाख, छियालीस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 65	विमानन के लिए बारह करोड़, सैंतीस लाख, नौ हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 1	2

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री दुर्गालाल विजय
(5) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(6) श्री ताराचंद बावरिया
(7) श्री बहादुर सिंह चौहान
(8) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(9) श्री इन्द्रजीत कुमार

श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री गोपाल भार्गव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए पांच सौ नवासी करोड़, छियानवे लाख, चौरासी हजार रूपये
अनुदान संख्या - 17	सहकारिता के लिए पचहत्तर करोड़, तीस लाख, बाईस हजार रूपये
अनुदान संख्या - 54	कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए इक्यावन करोड़, उनहत्तर लाख, चौसठ हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 13	4,8,13
मांग संख्या - 17	4
मांग संख्या - 54	3

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री दुर्गालाल विजय
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी

(5) श्री बृजमोहन धूत

(6) श्री इन्द्रजीत कुमार

(7) श्री बहादुर सिंह

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

(8) डॉ. नारायण परमार

(9) श्री गोविन्द सिंह पटेल

(10) श्री दिलीप सिंह परिहार

(11) श्री शंकरलाल तिवारी

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री गोपाल भार्गव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारम्भ किया।

8. सदन के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री गोपाल भार्गव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री की मांगों पर उनका उत्तर पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की गई।

सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

9. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (कमशः)

(मंत्री जी के भाषण के दौरान श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों ने तथा मार्क्सवादी कम्म्युनिस्ट पार्टी के सदस्य श्री रामलखन शर्मा द्वारा किसानों का ऋण माफ नहीं होने तथा अनाज का भण्डारण नहीं होने संबंधी बात कहते हुए सदन से बहिर्गमन किया)

श्री गोपाल भार्गव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने अपना भाषण पूर्ण किया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 6.09 बजे विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2008 (फाल्गुन 20, सक संवत 1929) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।